19/10/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21/11/22 को पेश हो।

21/11/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक ... को पेश हो।

?/12/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। शामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/12/2022 को पेश हो।

13/12/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। स्टाम्प ... पेश होने पर पक्की डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमित होकर नम्बर ... होकर दाखिल दफ्तर हो।

(Margin:) श्रीमान् जी। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार है। ... 13/12/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नवान .... बनाम ....

करण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
14/12/22	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 160/2022

बनाम

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. गुरनेब सिंह उर्फ गुरनायब सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 2. कुलविन्द्र कौर पत्नी गुरनायब सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 3. गुरजीत सिंह पुत्र भाग सिह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 4. रणजीत कौर पत्नी अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 5. सुखविन्द्र कौर पत्नी प्रेम सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 6. हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।	1. जसवीर कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति सैनी निवासी 32 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 2. बलदेव सिंह पुत्र रामनाथ जाति सैनी निवासी 32 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः- 02.08.2022

(राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर)

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय--

दिनांकः 13.12.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 32 एच ए, पटवार हल्का 42 एच, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के अनुसार खाता संख्या 12/12 के मुरब्बा नं0 8, 24, 26, 27, 34/2 में कुल 13.802 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 गुरनेब सिंह उर्फ गुरनायब सिंह के नाम 307/6901 हिस्सा व वादी संख्या 2 कुलविन्द्र कौर के नाम 497/6901 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 गुरजीत सिंह के नाम 2662/6901 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 रणजीत कौर के नाम 1531/27604 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 सुखवि[illegible] 15[illegible] हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 हर्शपिन्द्र सिंह के नाम 2290/6901 हिस्सा दर्ज [illegible]क्षका[illegible] के मध्य आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व पारिवारिक सम्प[illegible] हो चुका था, [illegible] अनुसार प्रत्येक पक्षकार अपने अपने हिस्सा पर शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से [illegible] चले आ रहे है। वादी संख्या 1 व 2 को घरू बंटवारा मे चक 32 एच [illegible] नं0 24 के किला नं0 2 के 0.013 हैक्टर, 9 के 0.152 हैक्टर, 10 के 0.063 हैक्टर, 11 के 0.063 हैक्टर, 12 के 0.101 हैक्टर रकबा 0.392 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 1 के 0.228 हैक्टर, 2 के 0.227 हैक्टर, 3 के 0.063 हैक्टर, 9 के 0.063 हैक्टर, 10 के 0.013 हैक्टर रकबा 0.594 हैक्टर कुल रकबा 0.986 हैक्दर नहरी प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

हुई है। वादी संख्या 3 को घरू बंटवारा में चक 32 एच ए के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 7 के 0.051 हैक्टर, 8 के 0.202 हैक्टर, 9 के 0.101 हैक्टर, 12 के 0.026 हैक्टर रकबा 0.380 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुई है। वादी संख्या 4 को घरू बंटवारा में चक 32 एच ए के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 2 के 0.158 हैक्टर, 3 के 0.253 हैक्टर, 4 के 0.240 हैक्टर, 5 के 0.114 हैक्टर रकबा 0.765 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुई है वादी संख्या 5 को घरू बंटवारा में चक 32 एच ए के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 1 के 0.253 हैक्टर, 2 के 0.082 हैक्टर, 10 के 0.190 हैक्टर, 11 के 0.190 हैक्टर, 20 के 0.051 हैक्टर रकबा 0.766 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुई है। वादी संख्या 6 को घरू बंटवारा में चक 32 एच ए के मुरब्बा नं0 27 के किला नं0 1 के 0.253 हैक्टर, 2 के 0.253 हैक्टर, 3 के 0.253 हैक्टर, 4 के 0.253 हैक्टर, 5 के 0.253 हैक्टर, 6 के 0.253 हैक्टर, 7 के 0.253 हैक्टर, 8 के 0.253 हैक्टर, 9 के 0.253 हैक्टर, 10 के 0.253 हैक्टर, 11 के 0.253 हैक्टर, 12 के 0.253 हैक्टर, 13 के 0.253 हैक्टर, 14 के 0.215 हैक्टर, 15 के 0.076 हैक्टर, 17 के 0.013 हैक्टर, 18 के 0.164 हैक्टर, 19 के 0.253 हैक्टर, 20 के 0.253 हैक्टर, 21 के 0.228 हैक्टर, 22 के 0.089 हैक्टर कुल 4.580 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार व गांव के सदस्य है, जिन्होने अपने-अपने नाम की भूमि का आपसी सहमति व सुविधा अनुरूप मौखिक विभाजन कर लिया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विभाजन अनुरूप पक्षकारान के नाम अलग से दर्ज नहीं हुयी है। पक्षकारान अपने हिस्सा में आयी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में संयुक्त भूमि दर्ज होने के कारण पक्षकारान को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई कृशि भूमि को किलावाईज राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण उक्त वर्णित घरू बंटवारानामा के अनुसार खाता व लगान अलग से कायम कर राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने [illegible] जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा तर्क पर गौर कर[illegible] किया गया। वस्तुतः वादीगण 13.043 हेक्टैयर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व [illegible] दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 32 एच ए, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 12/12 के मुरब्बा नम्बर 8, 24, 26, 27, 34/2 की कुल 13.802 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 13.043 हेक्टैयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested

भूमि जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शामिल मिसल की गई।

बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 32 एच ए, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 12/12 के मुरब्बा नम्बर 8, 24, 26, 27, 34/2 की कुल 13.802 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 13.043 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गुरनेब सिंह उर्फ गुरनायब सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर , कुलविन्द्र कौर पत्नी गुरनायब सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर (0.986 है.)	32 एच ए	24	2	0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.11
				9	0.152 हेक्टैयर	नहरी	1.26
				10	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.52
				11	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.52
				12	0.101 हेक्टैयर	नहरी	0.84
			26	1	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				2	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				3	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.52
				9	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.52
				10	0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.11
2	गुरजीत सिंह पुत्र भाग सिह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर (0.380 है.)	32 एच ए	24	7	0.051 हेक्टैयर.	नहरी	0.42
				8	0.202 हेक्टैयर	नहरी	1.68
				9	0.101 हेक्टैयर	नहरी	0.84
				12	0.026 हेक्टैयर	नहरी	0.22
3	रणजीत कौर पत्नी अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर (0.765 है.)	32 एच ए	24	2	0.158 हेक्टैयर	नहरी	1.31
				3	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				4	0.240 हेक्टैयर	[illegible]	1.99
				5	0.114 हेक्टैयर	नहरी	0.95
4	सुखविन्द्र कौर पत्नी प्रेम सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। (0.766 है.)	32 एच ए	24	1	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				2	0.082 हेक्टैयर	[illegible]	0.68
				10	0.190 हेक्टैयर	नहरी	1.58
				11	0.190 हेक्टैयर,	नहरी	1.58
				20	0.051 हेक्टैयर	नहरी	0.42

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

5	हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।(4.580 है.)	32 एच ए	27	1 ता 13	3.289 हेक्टैयर	नहरी	27.30
				14	0.215 हेक्टैयर	नहरी	1.78
				15	0.076 हेक्टैयर	नहरी	0.63
				17	0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.11
				18	0.164 हेक्टैयर	नहरी	1.36
				19,20	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				21	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				22	0.089 हेक्टैयर	नहरी	0.74

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

गुरनेब सिंह आदि बनाम जसवीर कौर आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91, 188** आरटीए मुकदमा नं. **160/2022**

निर्णय दिनांक :- 13.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 32 एच ए, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 12/12 के मुरब्बा नम्बर 8, 24, 26, 27, 34/2 की कुल 13.802 हेक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 13.043 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गुरनेब सिंह उर्फ गुरनायब सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर , कुलविन्द्र कौर पत्नी गुरनायब सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर (0.986 है.)	32 एच ए	24	2	0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.11
				9	0.152 हेक्टैयर	नहरी	1.26
				10	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.52
				11	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.52
				12	0.101 हेक्टैयर	नहरी	0.84
			26	1	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				2	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				3	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.52
				9	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.52
				10	0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.11
2	गुरजीत सिंह पुत्र भाग सिह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर (0.380 है.)	32 एच ए	24	7	0.051 हेक्टैयर	नहरी	0.42
				8	0.202 हेक्टैयर	नहरी	1.68
				9	0.101 हेक्टैयर	नहरी	0.84
				12	0.026 हेक्टैयर	नहरी	0.22
3	रणजीत कौर पत्नी अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर (0.765 है.)	32 एच ए	24	2	0.158 हेक्टैयर	नहरी	1.31
				3	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				4	0.240 हेक्टैयर	नहरी	1.99
				5	0.114 हेक्टैयर	नहरी	0.95
4	सुखविन्द्र कौर पत्नी प्रेम सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर(0.766 है.)	32 एच ए	24	1	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				2	0.082 हेक्टैयर	नहरी	0.68
				10	0.190 हेक्टैयर	नहरी	1.58
				11	0.190 हेक्टैयर	नहरी	1.58
				20	0.051 हेक्टैयर	नहरी	0.42
5	हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर(4.580 है.)	32 एच ए	27	1 ता 13	3.289 हेक्टैयर	नहरी	27.30
				14	0.215 हेक्टैयर	नहरी	1.78
				15	0.076 हेक्टैयर	[illegible]	0.63
				17	0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.11
				18	0.164 हेक्टैयर	[illegible]	1.36
				19,20	0.506 हेक्टैयर	[illegible]	4.20
				21	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				22	0.089 हेक्टैयर	[illegible]	0.74

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	1504	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांक: 14.12.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/620

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested